

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 35/2021- State Tax

Dated: the /7 January 2022

No. F.3 (142)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 33 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 24th September, 2021.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), —

(1) In rule 10A of the said rules, with effect from the date as may be notified, -

(a) after the words “details of bank account”, the words “which is in name of the registered person and obtained on Permanent Account Number of the registered person” shall be inserted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.”;

(2) After rule 10A of the said rules, with effect from the date as may be notified, the following rule shall be inserted, namely:-

“10B. Aadhaar authentication for registered person .— The registered person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has been issued a certificate of registration under rule 10 shall, undergo authentication of the Aadhaar number of the proprietor, in the case of proprietorship firm, or of any partner, in the case of a partnership firm, or of the karta, in the case of a Hindu undivided family, or of the Managing Director or any whole time Director, in the case of a company, or of any of the Members of the Managing Committee or an Association of persons or body of individuals or a Society, or of the Trustee in the Board of Trustees, in the case of a Trust and of the authorized signatory, in order to be eligible for the purposes as specified in column (2) of the Table below:

Table

S. No.	Purpose
(1)	(2)
1.	For filing of application for revocation of cancellation of registration in FORM GST REG-21 under Rule 23
2.	For filing of refund application in FORM RFD-01 under rule 89
3.	For refund under rule 96 of the integrated tax paid on goods exported out of India

Provided that if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of the Aadhaar number, such person shall furnish the following identification documents, namely: –

- (a) her/his Aadhaar Enrolment ID slip; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or
- (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

Provided further that such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of thirty days of the allotment of the Aadhaar number.”;

(3) In rule 23 of the said rules, in sub-rule (i), with effect from the date as may be notified, after the words “on his own motion, may”, the words, figures and letter “, subject to the provisions of rule 10B,” shall be inserted;

(4) In rule 45 of the said rules, in sub-rule (3), with effect from the 1st day of October, 2021, -

- (i) for the words “during a quarter”, the words “during a specified period” shall be substituted;
- (ii) for the words “the said quarter”, the words “the said period” shall be substituted;
- (iii) after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expression “specified period” shall mean.-

(a) the period of six consecutive months commencing on the 1st day of April and the 1st day of October in respect of a principal whose aggregate turnover during the immediately preceding financial year exceeds five crore rupees; and

(b) a financial year in any other case.”;

(5) In rule 59 of the said rules, in sub-rule (6), with effect from the 1st day of January, 2022, -

(i) in clause (a), for the words "for preceding two months", the words "for the preceding month" shall be substituted;

(ii) clause (c) shall be omitted;

(6) In rule 89 of the said rules, -

(i) in sub-rule (1), with effect from the date as may be notified, after the words "may file", the words ", subject to the provisions of rule 10B," shall be inserted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Any person, claiming refund under section 77 of the Act of any tax paid by him, in respect of a transaction considered by him to be an intra-State supply, which is subsequently held to be an inter-State supply, may, before the expiry of a period of two years from the date of payment of the tax on the inter-State supply, file an application electronically in **FORM GST RFD-01** through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that the said application may, as regard to any payment of tax on inter-State supply before coming into force of this sub-rule, be filed before the expiry of a period of two years from the date on which this sub-rule comes into force.";

(7) In rule 96 of the said rules, in sub-rule (1), after clause (b), with effect from the date as may be notified, the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) the applicant has undergone Aadhaar authentication in the manner provided in rule 10B;"

(8) After rule 96B of the said rules, with effect from the date as may be notified, the following rule shall be inserted, namely:-

"96C. Bank Account for credit of refund.- For the purposes of sub-rule (3) of rule 91, sub-rule (4) of rule 92 and rule 94, "bank account" shall mean such bank account of the applicant which is in the name of applicant and obtained on his Permanent Account Number:

Provided that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.";

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3 (142)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 33

Dated: the /7 January 2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to

publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, published *vide* number F3(10)(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 32/2021 - State Tax, dated the 6th January 2022 *vide* number F.3(141)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/13, dated the 6th January 2022.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिनांक: :/7 जनवरी, 2022

अधिसूचना संख्या 35/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(142)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/33 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम तारीख 24 सितम्बर, 2021 से लागू होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

(1) उक्त नियमों के नियम 10क में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए,-

(क) "बैंक खाते के ब्यौरे" शब्दों के पश्चात् "जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिके नाम से हो और रजिस्ट्रीकृत त व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।";

(2) उक्त नियमों के नियम 10क के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन.-धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तिसे भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता या कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएंगे:

सारणी

क्र.सं.	उद्देश्य
(1)	(2)
1.	नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में आवेदन फाइल करने के लिए
2.	नियम 89 के अधीन प्ररूप आरएफडी-01 में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए
3.	नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए

परंतु यदि उस व्यक्तिको जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्तिनिम्नलिखित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(क) अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और

(ख) (i) फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति;

परंतु यह और कि ऐसा व्यक्तिआधार संख्या के आवंटन से तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।”;

(3) उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, “स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है,” शब्दों के पश्चात् “नियम 10ख के प्रावधानों के अधीन रहते हुए” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(4) उक्त नियमों के नियम 45 के उपनियम (3) में, 1 अक्टूबर, 2021 से, -

(i) “तिमाही के दौरान”, शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान”, शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “तिमाही से”, शब्दों के स्थान पर, “उक्त अवधि से”, शब्द रखे जाएंगे;

(iii) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट अवधि” पद का अर्थ-

(क) किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रमवर्ती मासों की अवधि होगी; और

(ख) किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष होगा।";

(5) उक्त नियमों के नियम 59 के उपनियम (6) में, 1 जनवरी, 2022 से, -

(i) खंड (क) में, "पिछले दो महीने के लिए", शब्दों के स्थान पर, "पूर्ववर्ती मास के लिए", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(6) उक्त नियमों के नियम 39 में,-

(i) उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्दों के पश्चात्, नियम 10ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, "शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) अधिनियम की धारा 77 के अधीन उसके द्वारा संदत्त किसी कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उसके द्वारा अन्तर-राज्य प्रदाय समझे गए संव्यवहार के संबंध में, जो पश्चात्तवर्ती अन्तर-राज्य प्रदाय माना गया, अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के संदाय की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से आवेदन कर सकेगा।

परन्तु उक्त आवेदन इस उपनियम के प्रभावी होने के पूर्व अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के किसी संदाय के संबंध में, उस तारीख से जिस से यह उपनियम प्रभावी होता है दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व फाइल किया जाएगा।";

(7) उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

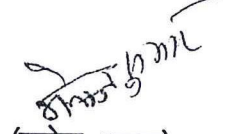
"(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित शक्ति से आधार अधिप्रमाणन करवाया है।";

(8) उक्त नियमों के नियम 96ख के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(96ग) प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता- नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए, "बैंक खाते" से आवेदक का ऐसा बैंक खाता अभिप्रेत होगा जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है:

"परन्तु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(मनोज कुमार)

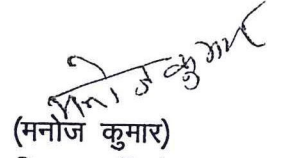
उप सचिव- I (वित्त)

सं0फा0 03(142)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/33

दिनांक: :/7 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)

टिप्पण: मूल नियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में, अधिसूचना सं. 3/2017-राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा संख्यांक सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 32/2021-राज्य कर, तारीख 6 जनवरी, 2022 द्वारा संख्यांक सं0फा0 03(141)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/13, तारीख 6 जनवरी, 2022 द्वारा किया गया।